न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार ~~[illegible]~~ बनाम बिमला देवी आदि

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र अ.धा. 131, 132 राजस्व मु.नं. 443 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
31/12/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। बहस पर मनन किया। समग्र पत्रावली आदि का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः राजस्व/2025/1746 दिनांक 12.09.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर के खसरा सं. 534/365, 533/365 में से प्रा.पत्र धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधि. 1956 बाबत् रास्ता में निहित प्रावधानानुसार प्रस्तावित रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ।

सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार आवेदनकर्ता व खसरा सं. 533/365 को सूचित किया गया। लेकिन मौके पर नहीं पहुंचे व खसरा सं. 534/365 के खातेदार बिमला पत्नी जगदीशप्रसाद जाति जाट मौके पर मिली, लेकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने पर असहमति जाहिर की। (फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न) प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत शाहपुरा की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर के खसरा सं. 534/365, 533/365 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की है।

सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता के संबंध में तहसीलदार, धोद से प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार "मौके पर खसरा सं. 526/365 में जाने हेतु दक्षिण–पूर्वी कोने में खसरा सं. 534/365 से आवागमन चालू है एवं खसरा सं. 534/365 के पूर्वी सीमा पर 5 मीटर की जगह छोड़कर लोहे का गेट लगा हुआ है। उसके पश्चिमी दिशा में खसरा सं. 534/365 खसरा सं. 534/365 को रास्ते के रूप में खसरा सं. 525/365 के खातेदार [illegible] में ले रहे है तथा खसरा सं. 534/365 की खातेदा[illegible] सं. 525/365 के खातेदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड [illegible] है। [illegible] खसरा सं. 534/365 के खातेदार बिमला पत्नी जगदीश ने [illegible] कि खसरा सं. 534/365 रकबा 0.0500 हेक्टेयर भूमि के बदले [illegible] हेक्टेयर भूमि खसरा सं. 526/365 के खातेदारान [illegible] दर्ज करवाई थी। अतः यह हमारा व्यक्तिगत रास्ता है और खसरा सं. [illegible]/365 के खसरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.01 12:24:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार बनाम बिमला देवी आदि

मु.नं. 443 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा [illegible]

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	नम्बर में आवागमन हेतु हमने खसरा सं. 534/365 की पूर्वी दिशा में रास्ता छोड़ रखा है।" उक्त प्रस्ताव के संबंध में उपर्युक्तानुसार रेखांकित पटवारी हल्का रिपोर्ट के संबंध में खसरा सं. 534/365 व 533/365 के समस्त खातेदारान को अपने कथन/जवाब/आपत्ति के संबंध में नोटिस जारी किये गये, जिसके प्रत्युत्तर में खसरा सं. 534/365 के खातेदार अप्रार्थी स्वयं (श्यामलाल पुत्र जगदीशप्रसाद) की ओर से जवाब नोटिस विषयक खसरा सं. 534/365 कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड कटान में दर्ज नहीं किये जाने बाबत दिनांकित 13.11.2025 में उल्लेखित संक्षिप्ततः तथ्यों के अनुसार "प्रार्थी के नाम से दर्ज कृषि भूमि खसरा सं. 534/365 वाके ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर है, जिसमें प्रार्थी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है और जीवन व्यापन करने के लिए कृषि कार्य एवं पशुपालन का व्यवसाय कर रहा है। प्रस्ताव के संबंध में प्राप्त नोटिस के बाबत खसरा सं. 534/365 में पूर्व से ही आने-जाने के लिए 15 गुणा 15 फीट का रास्ता है, जिससे अप्रार्थीगण अपने खसरा सं. 526/365, 533/365 में आने-जाने के लिए काम में ले रहे है। लेकिन उक्त अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के नाम से दर्ज खसरा सं. 534/365 सम्पूर्ण को ही राजस्व रिकार्ड कटान में दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया है, जो गलत है एवं निराधार है। उक्त खसरा सं. 534/365 प्रार्थी की खातेदारी जमीन है और प्रार्थी के द्वारा पूर्व से ही अप्रार्थीगण को आने-जाने के लिए 15 गुणा 15 का रास्ता दे रखा है। इसलिए उक्त खसरा सं. 534/365 को राजस्व रिकार्ड कटान में शामिल नहीं किया जावें।" उक्त वर्णित नोटिस के प्रत्युत्तर में खसरा सं. 534/365 के खातेदार अप्रार्थीया स्वयं (बिमला पत्नी जगदीशप्रसाद) की ओर से जवाब नोटिस विषयक खसरा सं. 534/365 कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड कटान में दर्ज नहीं किये जाने बाबत दिनांकित 13.11.2025 में उल्लेखित संक्षिप्ततः तथ्यों के अनुसार "प्रार्थीया के नाम से दर्ज कृषि भूमि खसरा सं. 534/365 वाके ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर है, जिसमें प्रार्थीया खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है और जीवन व्यापन करने के लिए कृषि कार्य एवं पशुपालन का व्यवसाय कर रही है। प्रस्ताव के संबंध में प्राप्त नोटिस के बाबत खसरा सं. 534/365 में पूर्व से ही आने-जाने के लिए 15 गुणा 15 फीट का रास्ता है, जिससे अप्रार्थीगण अपने खसरा सं. 526/365, 533/365 में आने-जाने के लिए काम में ले रहे है। लेकिन उक्त अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया के नाम से दर्ज खसरा सं. 534/365 सम्पूर्ण को ही राजस्व रिकार्ड कटान में दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया है, जो गलत है एवं निराधार है। उक्त खसरा सं. 534/365 प्रार्थीया की खातेदारी जमीन है और प्रार्थीया के द्वारा पूर्व से ही अप्रार्थीगण को आने-जाने के लिए 15 गुणा 15 का रास्ता दे रखा है। इसलिए उक्त खसरा सं. 534/365 को राजस्व रिकार्ड कटान में शामिल नहीं किया जावें।" शेष अप्रार्थीगण (सोहन पुत्र लिखमा [illegible] नाराम) की ओर से उपस्थित उनके अभिभाषक ने [illegible] जात के साथ वर्णित रास्ता के बेचाननामा तथा [illegible] सत्यप्रतिलिपियां पेश कर [illegible] वर्णित प्रस्ता[illegible] रास्ता के अनुरूप ही रास्ता कटान में सहमति प्रदान की। प्रकरण में वर्णित अप्रार्थीगण [illegible] प्रतियों तथा प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता प्रस्ताव [illegible] दस्तावेजात, दस्तावेजात आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.01 12:24:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार बनाम विमला देवी आदि

किस्म मुकदमा धारा 131,132 भू.रा.अ. मु.नं. 448 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
	का भी गहनता से अवलोकन से स्पष्ट रूप से जाहिर है कि प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता के संबंध में भूमिधारी, तहसीलदार, धोद के द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट्स अनुकूल प्रतीत होती है। क्योंकि अप्रार्थी स्वयं (श्यामलाल पुत्र जगदीशप्रसाद) व अप्रार्थीया स्वयं (बिमला पत्नी जगदीशप्रसाद) की ओर से प्रस्तुत वर्णित जवाब नोटिसेस में जिन तथ्यों का उल्लेख किया जाकर अपनी आपत्ति पेश की है, उन सभी से यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रस्तावित रास्ता आवागमन हेतु दिया जाना उचित है। साथ ही उक्त आपत्तिकर्तागण (श्यामलाल पुत्र जगदीशप्रसाद व बिमला पत्नी जगदीशप्रसाद) की ओर से अपने तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात आदि पेश नहीं किये है, जिनसे उनके तथ्यों/आपत्ति का पक्ष मजबूत हों। समग्र रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132 के तहत रास्ता प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार आपत्तिकर्तागण (श्यामलाल पुत्र जगदीशप्रसाद व बिमला पत्नी जगदीशप्रसाद) के आपत्ति आवेदनों को अस्वीकार किया जाकर हस्तगत रास्ता प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आपत्तिकर्तागण (श्यामलाल पुत्र जगदीशप्रसाद व बिमला पत्नी जगदीशप्रसाद) के आपत्ति आवेदनों दिनांकित 13.11.2025 को अस्वीकार किया जाता है तथा राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, धोद के पत्रांकः राजस्व/2025/1746 दिनांक 12.09.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर के खसरा सं. 534/365, 533/365 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः राजस्व/2025/1746 दिनांक 12.09.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया [illegible] बाद तामील [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर [illegible] उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.01 12:24:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner